

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- टीपी/2017/ 381

दिनांक :- 20/04/2017

मैसर्स गावड़ कन्स. कम्पनी,
जरिये अधिकृत एच. सी गिरधर पुत्र श्री भगवानदास गिरधर,
निवासी 553 पुलिस लाइन, नजदीक जिम खाना क्लब,
हिसार (हरियाणा)

विषय :- चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 06 के किला नं. 2/1 में 0.051 है०, किला नं. 9, 12, 13, 18 व 23 में भूखण्ड माप 15526.33 वर्गगज भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3(ए) के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग/ फ्लैट्स हेतु भवन मानचित्र अनुमोदन एवं निर्माण अनुमति जारी करने बाबत।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में मानचित्र अनुमोदन के लिए जो प्रस्ताव चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 06 के किला नं. 2/1 में 0.051 है०, किला नं. 9, 12, 13, 18 व 23 में भूखण्ड माप 15526.33 वर्गगज भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3(ए) के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग/ फ्लैट्स हेतु भवन मानचित्र अनुमोदन एवं निर्माण अनुमति जारी करने हेतु प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति आज दिनांक 20.04.2017 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है :-

1. यह भवन अनुज्ञा माह अप्रैल 2021 तक प्रभावी है तथा निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा। उक्त भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 30.01.2017 में किया गया है।
3. 15 मीटर से अधिक भवन की ऊंचाई की स्वीकृति अग्निशमन की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जावेगी।
4. 20000 वर्गमीटर से अधिक निर्माण पर पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
5. विकासकर्ता एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत भवन मानचित्र प्रचलित भवन विनियमों एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/ बदली जा सकती है।
6. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विकासकर्ता न्यास को लिखित में सूचना प्रस्तुत करेगा।
7. नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.18(36)नवि/एनएचटी/2014 पार्ट दिनांक 31.05.2016 द्वारा निर्माण हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो कि एनेक्चर-ई में वर्णित है, जिनकी सुनिश्चितता आवेदक स्वयं द्वारा की जानी आवश्यक होगी।
8. मानचित्र अनुसार भूखण्ड पर अपशिष्ट/जलशुद्धिकरण एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की जानी होगी, अन्यथा 10/- रुपये प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष शास्ति देय होगी।
9. उक्त स्वीकृति के कारण यदि नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो विकासकर्ता उनकी उस क्षति-पूर्ति के लिए दायी होकर बाध्य रहेगा।

10. विकासकर्ता प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाईयों से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
 11. स्वीकृत मानचित्र अनुसार दर्शाई गई फेसीलिटी का निष्पादन नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा, जिसकी समस्त शर्तों की पालना करनी आवश्यक होगी।
 12. सक्षम तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में विकासकर्ता उपरोक्त निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना न्यास को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र सहित न्यास को देनी होगी।
 13. स्वीकृत मानचित्र को मौके पर उपयुक्त स्थान पर वृहद बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा।
 14. भवन परिसर के निवासियों की पार्किंग व्यवस्था सुनियोजित तरीके से पूर्ण करवाई जावे तथा पार्किंग बोर्ड लगवाया जावे।
 15. आपातकालीन, अग्निशमन व भूकम्परोधी प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानानुसार करने होंगे, भूखण्ड में अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.6 मीटर चौड़ा गलियारा उपलब्ध कराना अति आवश्यक है।
 16. रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना अनिवार्य है।
 17. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए नियमानुसार प्रावधान करने होंगे।
 18. नियमानुसार ग्रीनरी एवं प्लान्टेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
 19. तृतीय पक्षकार निरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भी पार्टी या दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसकी पालना की जानी होगी।
 20. मॉडल भवन विनियम नियम एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं सम्बन्धित विभाग या राज्य सरकार द्वारा जारी समय-समय पर दिशा निर्देशों/परिपत्रों के समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
 21. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
- नोट :- उक्त निर्माण स्वीकृति प्रथम चरण में 15 मीटर की ऊंचाई एवं 20,000 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल तक की ही है। इससे अधिक ऊंचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल की निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त दी जावेगी।

[Handwritten signature]

सचिव

नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
दिनांक :-

क्रमांक :- टीपी/2017/
प्रतिलिपि :-

1. अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को स्वीकृत किये गये भवन मानचित्र का एक सैट प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण अनिवार्य रूप से करवाने हेतु सूचनार्थ।

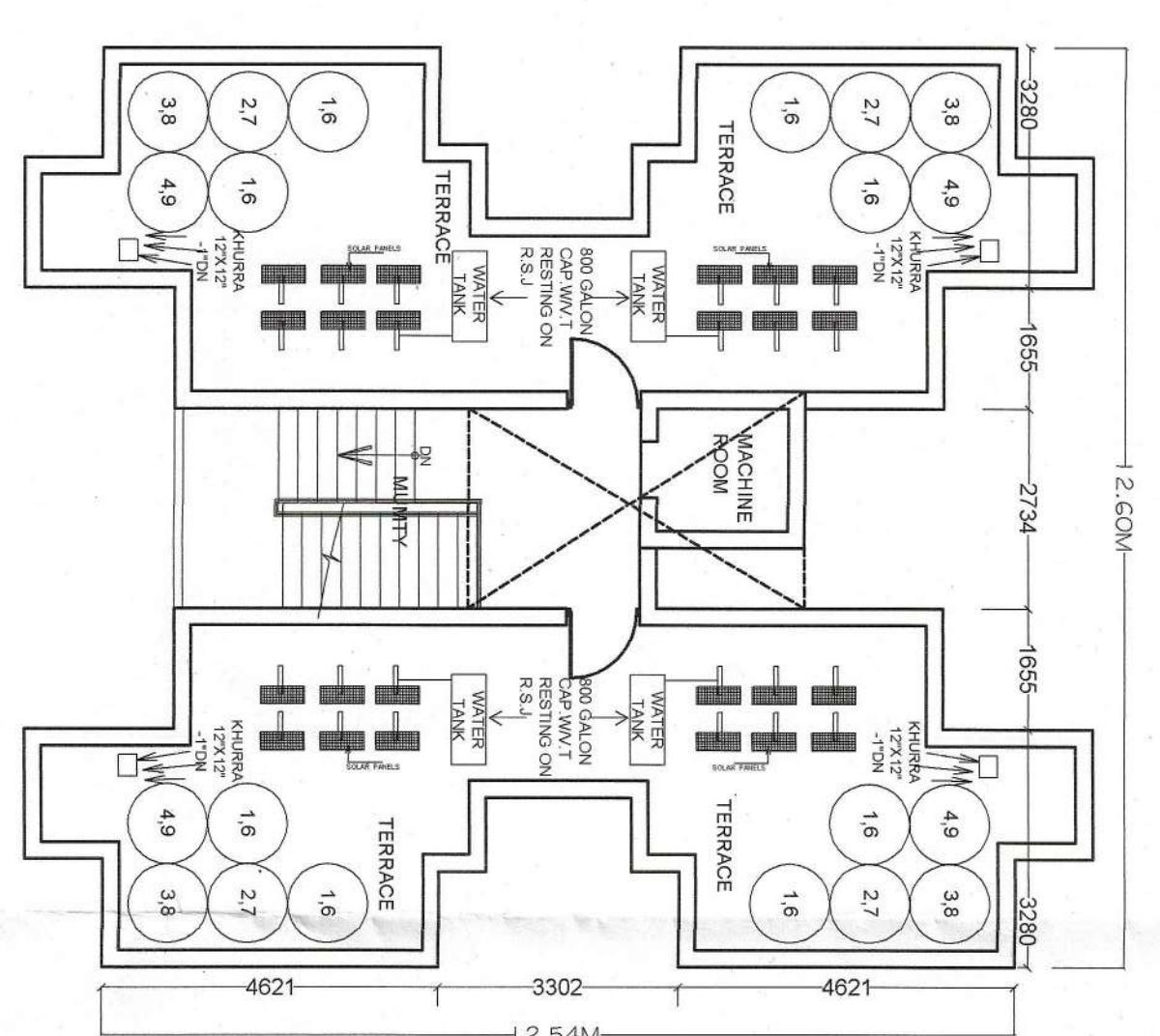
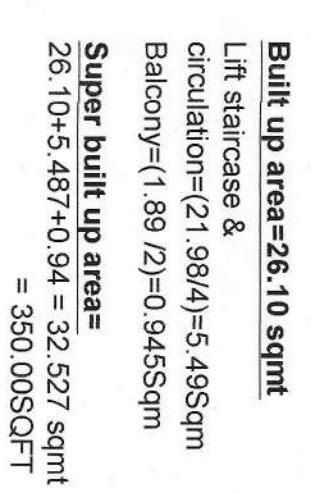
[Handwritten signature]

सचिव

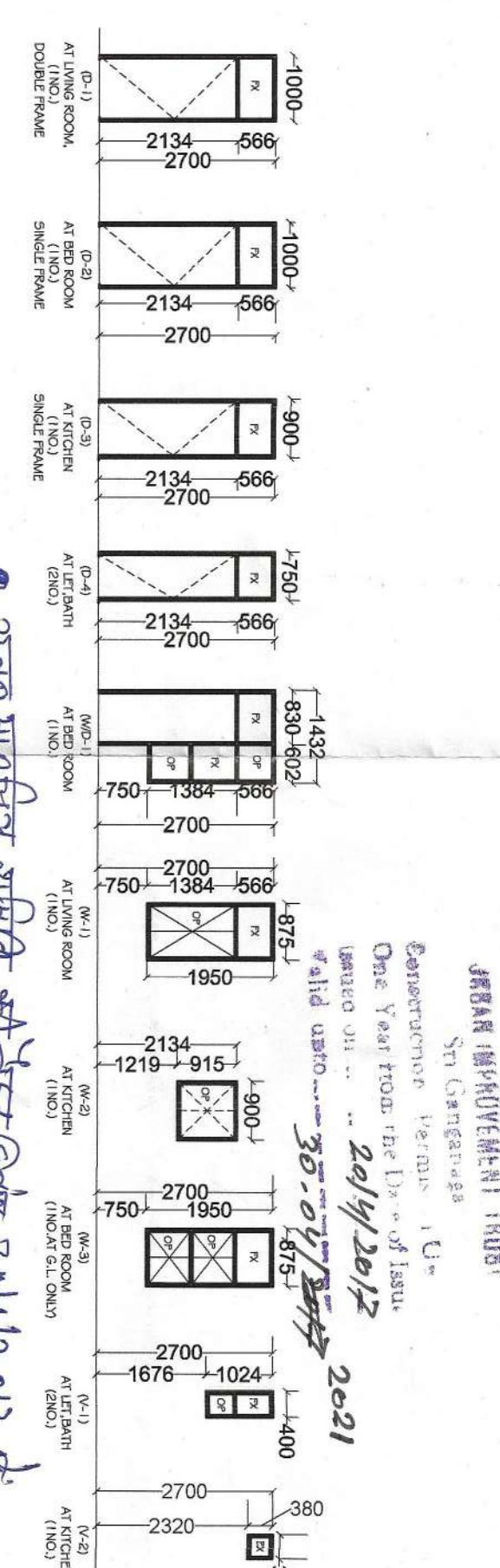
नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

EMS BLOCK 4 FLATS
TOWER NO.4 & G+7THLOOR
BLOCK AREA = 133.94 SQMT
BALCONY = 11.78X1.056/2 = 7.569/2 = 3.7845 SQMT
LIFT = 1.676X3.800/4 X1 nos. = 3.016 SQMT
STAR = (2.313X4.049)/4 X1 nos. = 11.057 SQMT
CORRIDOR L+UP AREA = 133.94+237/4 X1 nos. = 6.109 SQMT
SUPER BUILT-UP AREA = 133.94+3.78+11.057+6.109
= 154.886 SQMT
F.A.R. = 133.94/7.569 = 3.016 = 11.057
= 112.278 SQMT

2XFAR = 112.278 X2=224.55 SQM
ZCORRIDOR =2x6.109=12.218SQM



no.	DOOR	SIZE(mm)	CLADDING	GLASSING
1	D-1	1,000x2,700	0.00	2.70
2	D-2	1,000x2,700	0.00	2.70
3	D-3	0.900x2,700	0.00	2.70
4	D-4	0.850x2,700	0.00	2.70
5	WD-1	0.785x(60X)	0.00, 0.75	2.70
6	W-1	0.81X1.95	0.75	2.70
7	W-2	0.900X1.91	1.22	2.13
8	W-3	0.81X1.95	0.75	2.70
9	W-4	0.400X2.92	1.66	2.70
10	W-2	0.380X0.96	2.32	2.70



ਮਾਨਯੋਗ ਪਤਿਕਾ ਨੰਬਰ 79/12/581 ਤਾਰੀਖ 20/12/21
ਸੰਭਾਰਾ ਆਰੀਜ਼ਿਕਸ ਫਾਈਨੀ 35 ਕਮਰ 5ਵੇਂ ਮੰਗਰਾਹੀਨ
ਏਕਾ ਸੁਭਾਰ ਕਮਰਾਂ ਪਤਿਕਾ

● प्रबल भागीदार बनाने की योजना 2011/2012 में
प्रबल भागीदार स्वीकृत किया गया।

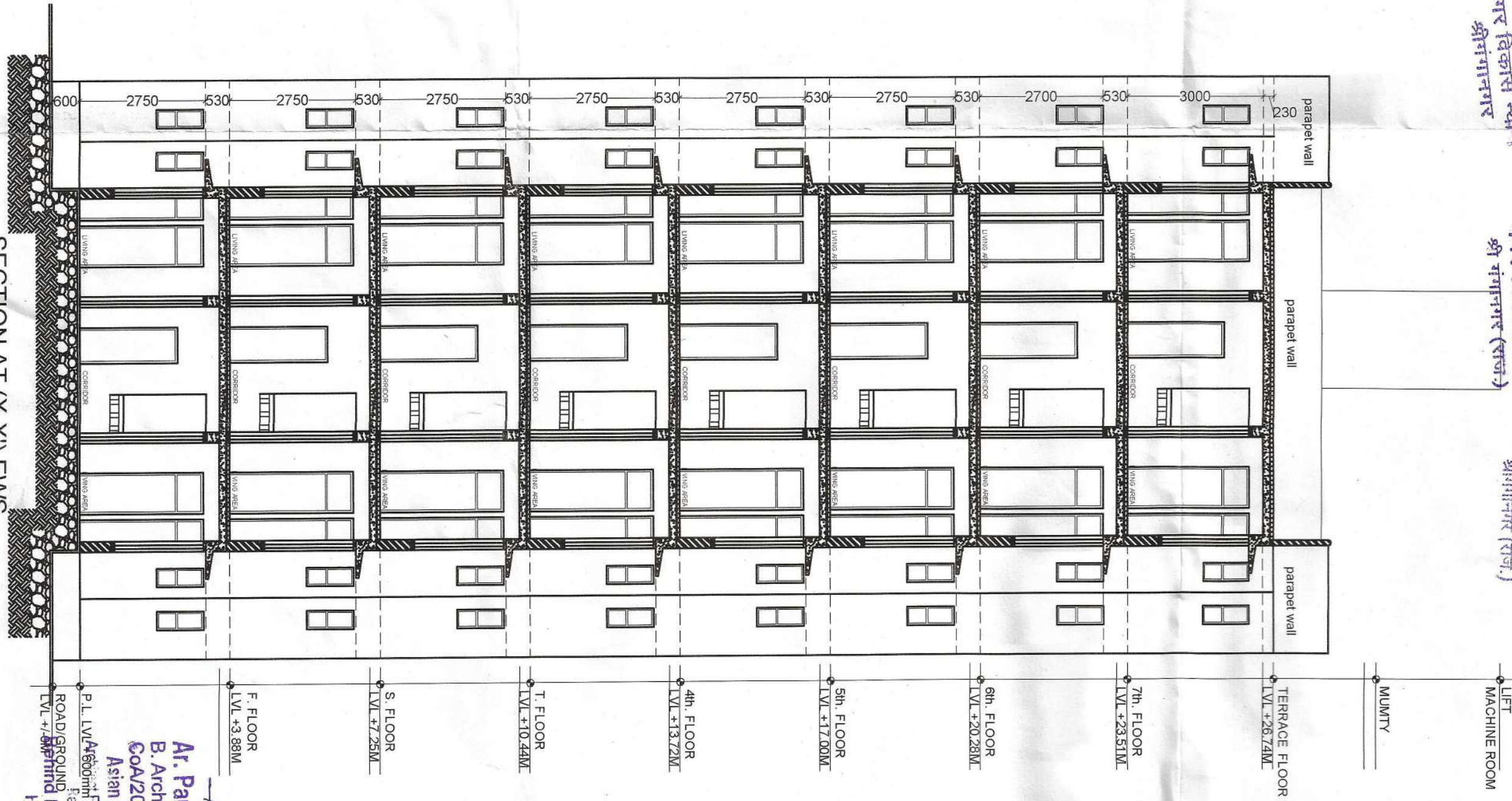
सायबक नगर नियाजक
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर (राज.)

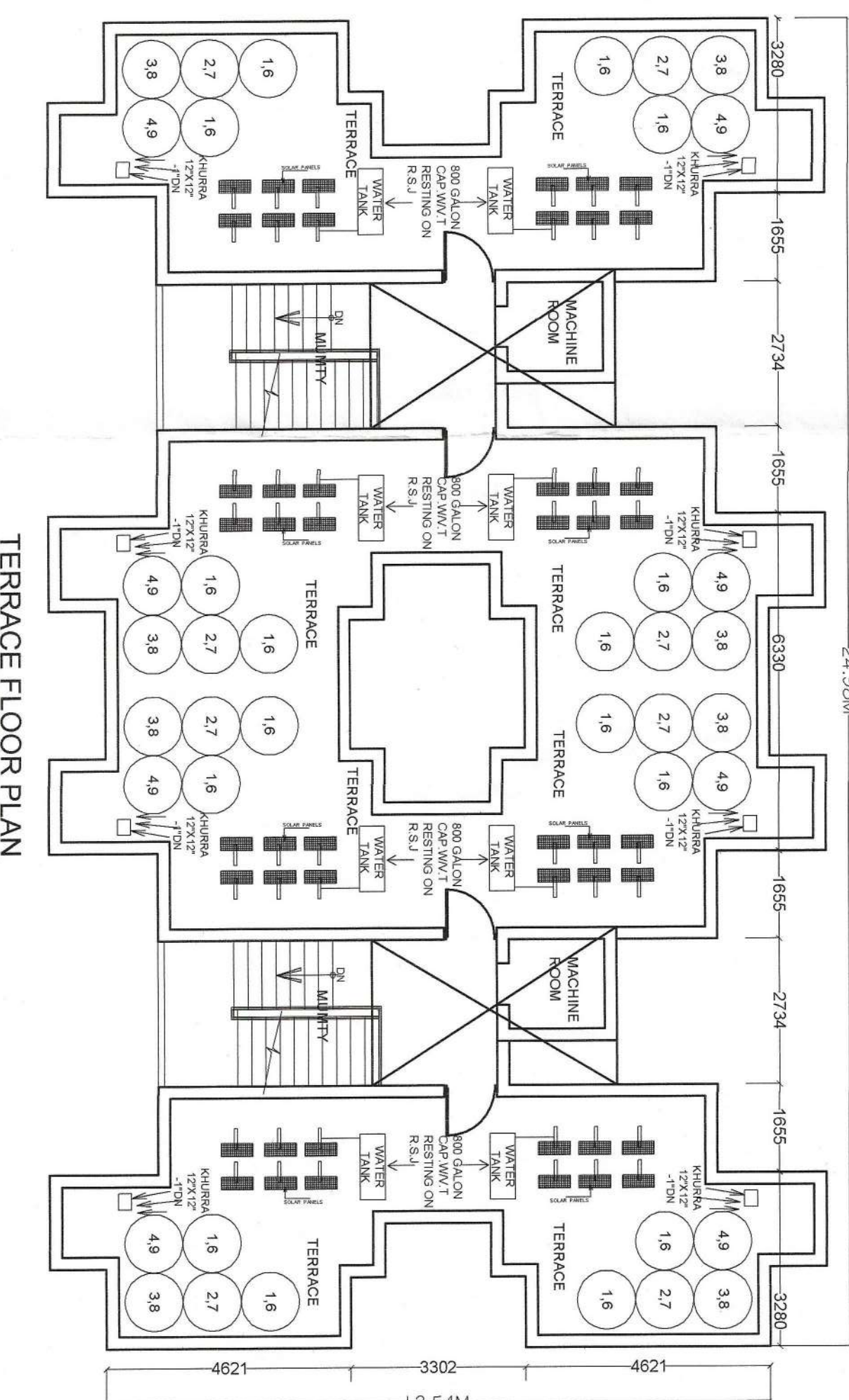
आधिशायी अभियन्ता
नगर विकास न्यास
श्री नागानगर (राज.)

नगर विकास न्यास
श्री नागानगर (राज.)

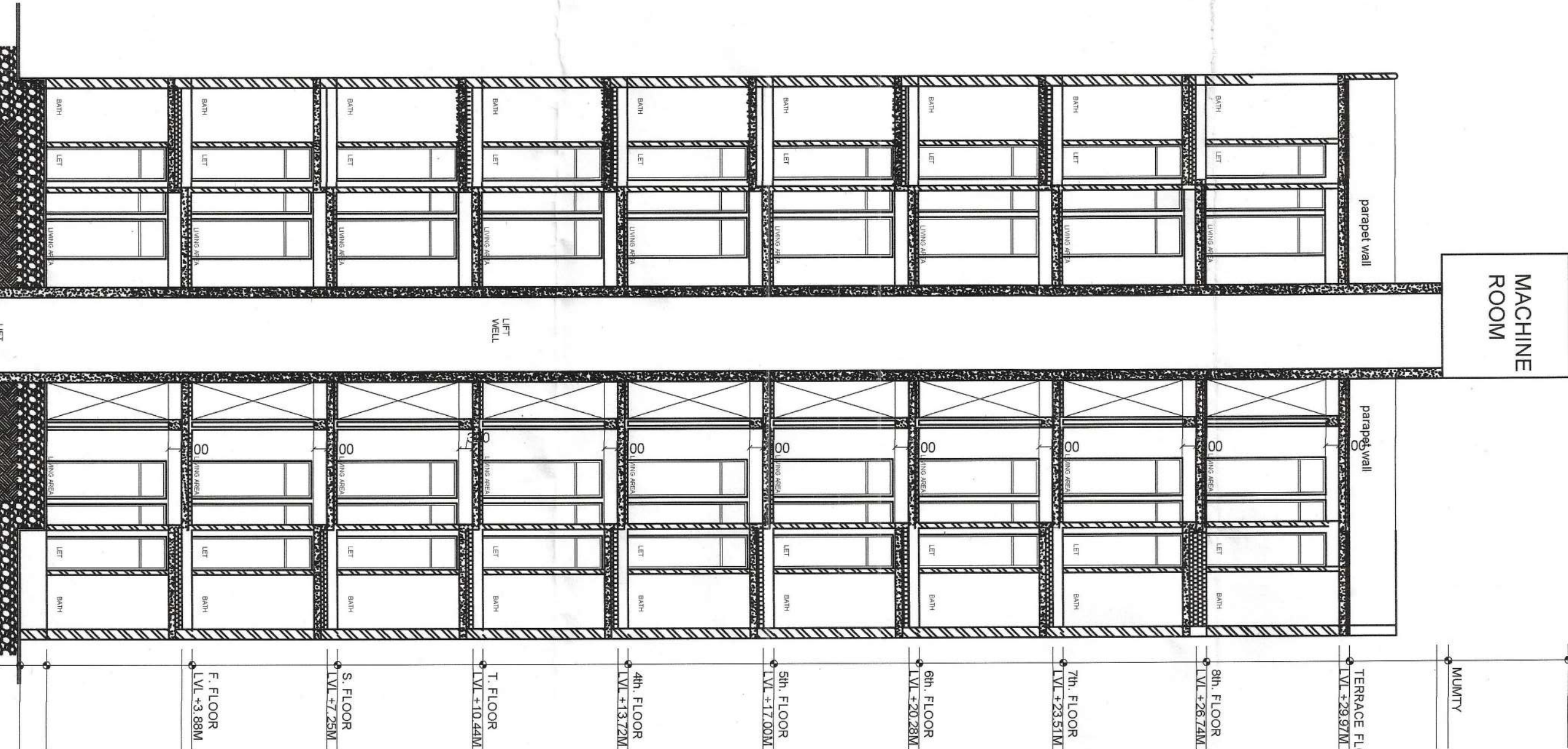
12/11/20



Ar. Parshu Ram Pandit
B.Arch.
CoA/2009/46849
Asian Building Associates
L. Vaidyanathan
Firm: 0813621015/27
Flooring, Interiors & Partitions
CoA/D/GROUND
Vaidyanathan
Hatturangaiah Jn.



(EWS FLATS)



REAR (Lift Side) ELEVATION (EWS Flats)

TOWER NO. J & K = G+7 FLOOR &
TOWER NO. MTO X G+8 FLOOR

$$\text{LIFT} = (1.676 \times 1.800) \times 2_{(\text{nos.})} = 6.032 \text{ SQMT}$$
$$\text{STAIR} = (2.731 \times 4.049) \times 2^{(\text{NOS.})} = 22.114 \text{ SQMT}$$

CORRIDOR = (2.731X2.237)X2 (NOS.) = 12.218 SQMT
SUPER BUILT-UP AREA = (265.771-7.589 (BALCONY))X7 (BLOCK)
 = 1807.27 SQMT

$$= 1807.27 \text{ SQMT}$$
$$6.032_{(\text{LIFT})} - 22.114_{(\text{STAIR})} = 222.446 \text{ SQMT}$$

7XF.A.R = 7X222.446 = 1557.125QM

7 X CORRIDOR = 7X12.218=85.526 SQM

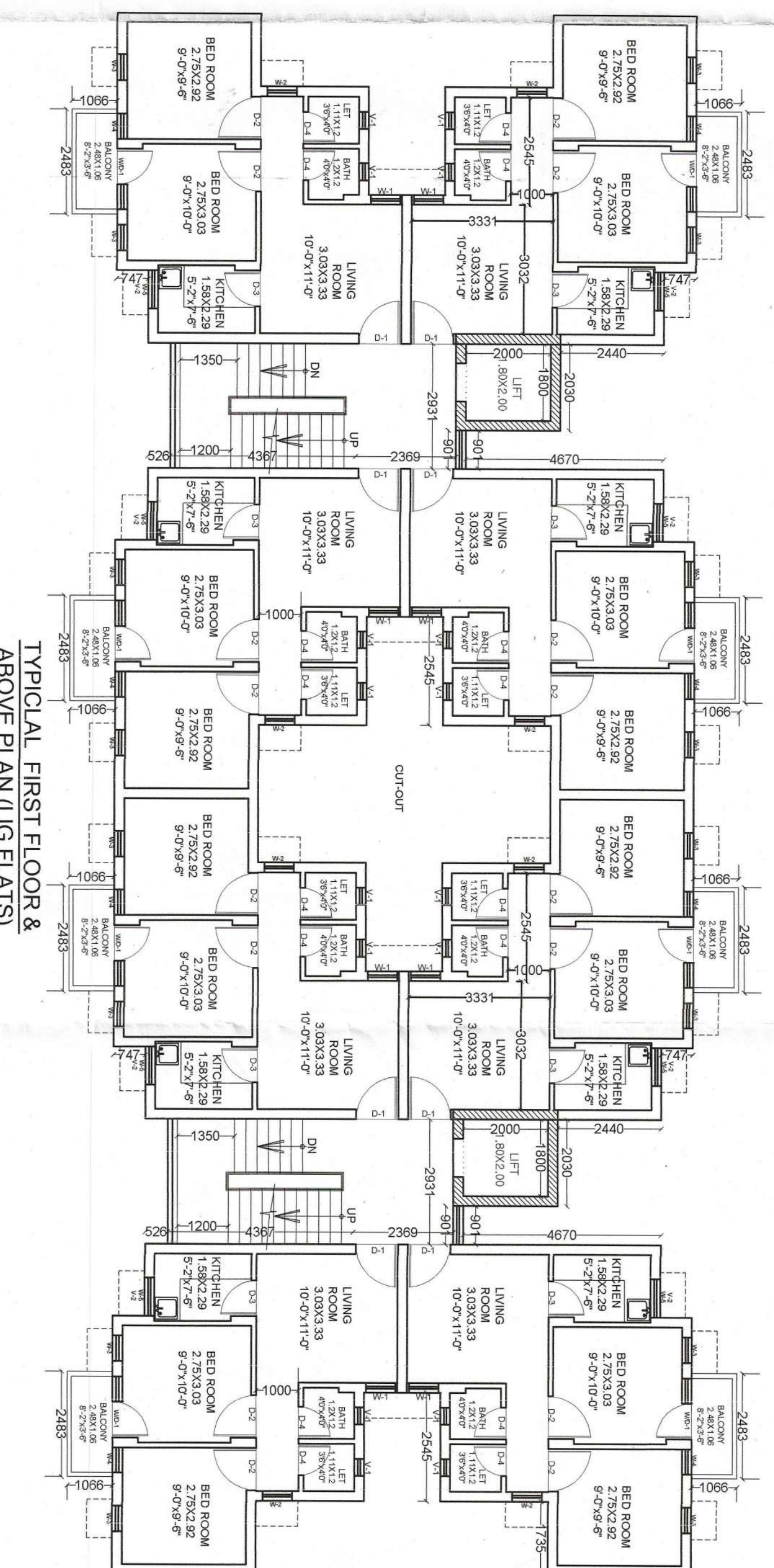
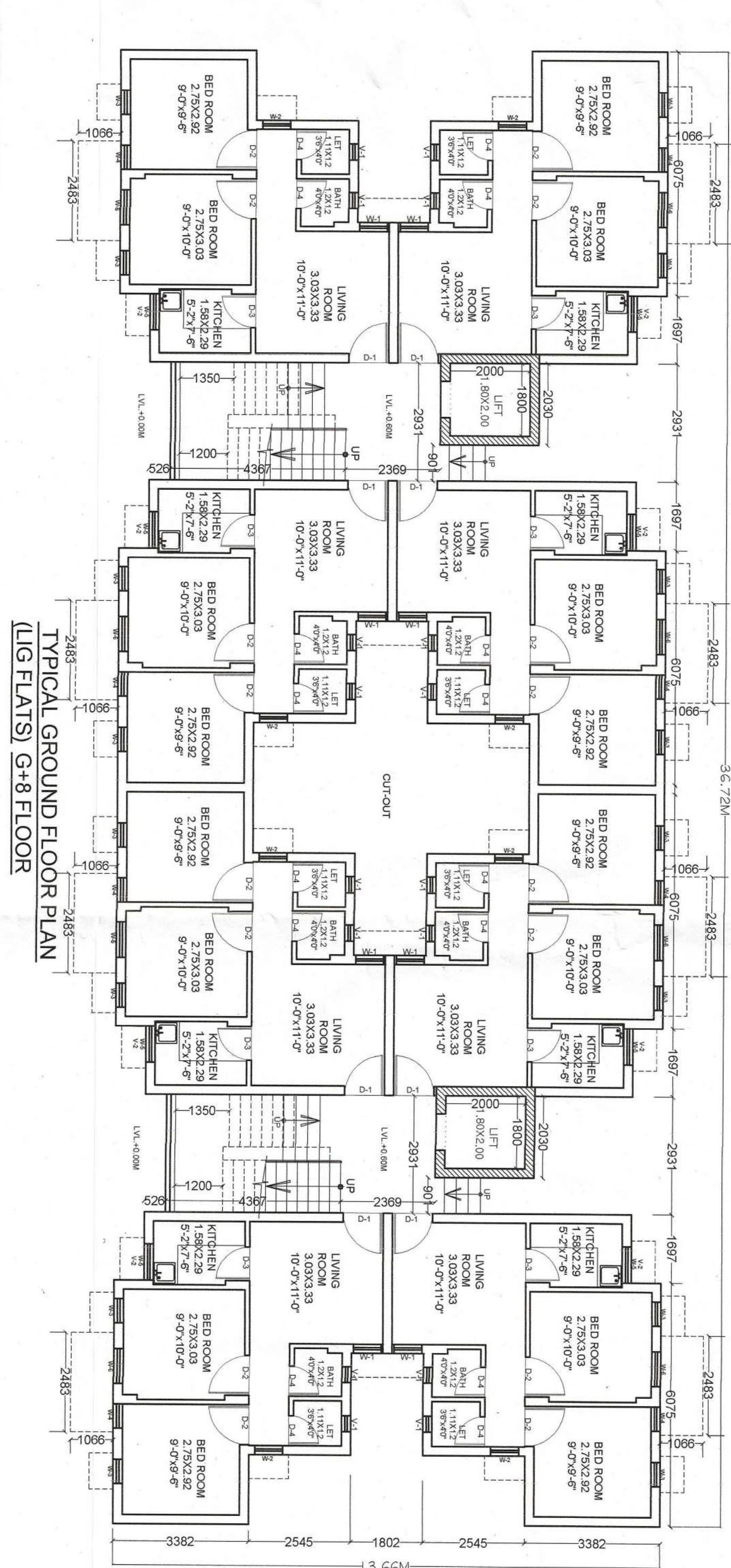
CoA/2009/46849

Asian Building Associates
Architect, Planner, Interiors & Estimators

Regd.-081352101527
Behind Manplaza Jyoti Market

Harunqarh J.

CHIEF MINISTER JANAWAS YOJANA PROVISION 3-A SITUATED AT
Kila no. 2(part), 9, 12, 13, 18 & 23 of square no. 6 of chak 3ML Sirganganagar



LIG 8 FLAT
TOWER NO.A TO H = G+8 FLOOR
BLOCK AREA = (449.266-31.503-cutout) = 417.76 SQMT
LIFT = (1.80X2.00)X2(NOS) = 7.20 SQMT
STAIR = (2.931X4.150)X2(NOS) = 24.32 SQMT
CORRIDOR = (2.931X2.471)X2(NOS) = 14.48 SQMT
BALCONY = (2.483X1.066)X8 = 21.175/2 = 10.58 SQMT
SUPER BUILT-UP AREA = (417.76-10.58(BALCONY))X4(BLOCK)
F.A.R. = 417.76-21.175(BALCONY)-
7.20(LIFT)-24.32(STAIR) = 365.065 SQMT
F.A.R. = 4X365.065 = 1460.265SQM
CORRIDOR = 4X14.484=57.94 SQM

